न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2024/251
मिसल नम्बर– 75/2024
1.सुभाष शर्मा पुत्र दुर्गादास उम्र 77 वर्ष जाति ब्राहम्ण निवासी मकान नम्बर सी 19 साकेत आवास जय श्री विहार कोटा राज0

प्रार्थी।

बनाम

1.ज्योति शर्मा उम्र 40 वर्ष पत्नी श्री राजीव शर्मा
2.राजीव शर्मा उम्र 42 वर्ष पुत्र श्री सुभाष शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासीगण मकान नम्बर सी–19 साकेत आवास जय श्री विहार कोटा राज0

अप्रार्थीगण।

–ःनिर्णयः–
(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)
दिनांक 15/7/25

उपस्थितिः–

1.श्री राजेन्द्र कुमार जैन अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2.श्री मनोज गौतम अधिवक्ता अप्रार्थीगण

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी 77 वर्षीय के वरिष्ठ वृद्ध नागरिक है, तथा प्रार्थी वुद्धा पेंशनर है तथा प्रार्थी को मिलने वाली पेंशन राशि से ही जीवन यापन करता चला आ रहा है प्रार्थी के दो संतान जिसमें एक पुत्र राजीव शर्मा प्रतिपक्षी क्रम–2 व एक पुत्री मधु बाला शर्मा है, दोनो की शादियां प्रार्थी द्वारा कर दी गयी है तथा प्रार्थी की पुत्री मधुबाला शर्मा अपने ससुराल में अपने पति व बच्चो के साथ जीवन व्यतीत कर रही है तथा प्रार्थी का एक मात्र शादी के बाद से ही प्रार्थी द्वारा स्वअर्जित सम्पत्ति मकान मकान नम्बर –सी– 19, साकेत आवास जयश्री विहार कोटा राजस्थान में प्रार्थी की अनुमति व सहमति से निवास करते चले आ रहे है। प्रार्थी अपनी स्वअर्जित आय से एक सम्पत्ति मकान नम्बर –सी–19, साकेत आवास जयश्री विहार कोटा राजस्थान में स्थित चला आ रहा है, जिसकी कुल पैमायशी 25 गुणा 45 वर्गफुट है, जो ग्राउण्ड फ्लोर पर ही निर्मित हो रहा है, जिसमें वर्तमान में दो कमरे, एक हॉल, एक बैठक, एक रसोई व दो लेट–बाथ बने हए है। उक्त सम्पत्ति मकान को प्रार्थी ने अपनी स्वअर्जित आय से बिल्डर से खरीद किया गया था। उक्त सम्पत्ति मकान के पीछे वाले पॉर्शन में प्रार्थी की अनुमति से निवास करता चला आ रहा है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रार्थी की पत्नी शोभरानी का सन 2017 में स्वर्गवास हो गया है । पत्नी की मृत्यु के बाद प्रार्थी ही अकेला उक्त मकान में निवास करता चला आ रहा है। प्रतिपक्षीगण जब से प्रार्थी के उक्त मकान में निवास करने लगे है, तब से ही प्रार्थी से अनावश्यक लडाई–झगडा, व गाली–गलोच करते है और उक्त मकान को हडपने के लिए प्रार्थी पर दबाव बनाते है और प्रार्थी से कहते है कि उक्त मकान को उनके नाम से कर देवे, नहीं तो प्रार्थी के साथ अच्छा नही होगा और प्रतिपक्षी क्रम–1 आये दिन गाली–गलोच करती है, मारने के लिए हाथ उठा लेती है और धमकी देती है कि यदि प्रार्थी ने उक्त मकान उनके नाम नही किया तो प्रार्थी को एक दिन जान से खत्म कर देगी और अपने उक्त प्रकार के मन्सूबो को पूरा करने के लिए प्रतिपक्षी क्रम–2 को भी प्रार्थी के खिलाफ उल्टी सीधी बाते बोलकर भड़काती है और उकसाती है, जबकि प्रतिपक्षीगण ना तो प्रार्थी की कोई ऐर सबेर करते है, ना देखरेख करते है, ना ही कपड़े आदि धोते है, ना ही खाना बनाकर देते है और ना ही हारी–बीमारी में इलाज करवाते है ना ही भरण–पोषण ही करते है,– इसके बावजूद भी प्रतिपक्षीगण को प्रार्थी को आये दिन अपशब्द बोलते है, लड़ाई–झगड़ा करते, और आये दिन मारपीट करते है और प्रार्थी को झंठे प्रकरणो में फंसाकर प्रार्थी के मकान को जबरन हडपने की धमकी देते है। इसी आशय से प्रतिपक्षीगण ने आपस में मिलीभगत कर ली है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रतिपक्षीगण आपस में मिलकर आये दिन प्रार्थी को नाजायज परेशान करते है। यहां तक कि कई बार प्रार्थी के साथ गंभीर रूप से मारपीट तक भी की गयी, और मकान को हडपने के लिए प्रार्थी के खिलाफ एक झूंठी छेडछाड की रिपोर्ट भी थाना उद्योग नगर कोटा में दंर्ज करवाई गयी, जिस पर बाद जांच उक्त रिपोर्ट झूंडी पायी गयी और उल्टा पुलिस द्वारा प्रतिपक्षीगण को चेतनावनी देकर छोड दिया गया, परन्तु प्रतिपक्षीगण के व्यवहार में कोई बदलाव नही आया और उनका व्यवहार निरन्तर ज्यो का त्यो बना रहा। प्रतिपक्षीगण के मन में बदनियती आ जाने से प्रतिपक्षीगण ने आपस में कोल्युजन व षडयन्त्र रचते हु, प्रार्थी के मकान को हडपने के आशय से प्रार्थी के साथ आये दिन ताने दिये जाने लगे, गाली–गलोच की जाने लगी, यहां तक प्रतिर्पीगण द्वारा प्रार्थी के साथ आये दिन मारपीट तक भी की जाने लंगी। और यह भी धमकी दी जाने लगी है कि प्रार्थी को उक्त मकान से जबरन ताकत के बल पर घर से निकालकर मकान पर जबरन कब्जा करके रहेगें और इसी आशय से प्रतिपक्षीगण द्वारा प्रार्थी के साथ मारपीट करके घर से निकालने पर आमदा हो रहे है। यहां तक प्रतिपक्षी क्रम–1 जो कि प्रार्थी की पुत्र वधु है, ने प्रार्थी की अनुमति सहमति के बिना प्रार्थी के उक्त मकान की फाईल जो बिल्डर ने बनाकर प्रार्थी को दी उसे भी चुरा लिया है और प्रार्थी की पत्नी के व अन्य सोने–चांदी के जैवरात इत्यादि के जैवरातो को भी प्रतिपक्षी क्रम–1 ने प्रार्थी की अलमारी में से चुराकर अपने पीहर में रख दिये है। प्रतिपक्षीगण द्वारा आपस में कोल्युजन व षडयन्त्र रचते हुऐ गत कुछ समय से प्रार्थी के मकान में प्राथी से आये दिन लड़ाई–झगडा, गाली– गलोच करते है, तथा प्रतिपक्षी क्रम –1 व 2 से जब प्राथी, प्रतिपक्षी क्रम–1 को समझाने के लिए कहा, तो प्रतिपक्षी क्रम–2 भी प्रतिपक्षी क्रम–1 का ही साथ देता है और प्रार्थी से

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

लड़ाई–झगड़ा करते, जिस बाबत प्रार्थी व अन्य परिवार जनो ने प्रतिपक्षीगणो को आपस में समझाने का हर संभव प्रयास भी किया गया, परन्तु प्रतिपक्षीगण के व्यवहार व कृत्यो में कोई भी परिवर्तन नही आया और प्रतिपक्षीगणो का व्यवहार और ज्यादा उग्र व प्रताडित करने वाला होता चला गया, प्रतिपक्षीगण अत्यन्त उग्र होकर किसी भी प्रकार से समझ नही पा रहे है तथा स्वयं प्रतिपक्षी नम्बर–2 को प्रतिपक्षी क्रम–1 द्वारा उल्टी सीधी बाते मिलाकर प्रार्थी के रखिलाफ उकसाते है व भड़काते है, प्रार्थी के साथ अत्यन्त अभद्र व मारपीट करने वाला व्यवहार करते हुऐ प्रार्थी को मकान से बाहर जबरन निकालने के कुत्य तक करने में लग गये है। और प्रार्थी को घर से निकाल दिया, इस प्रकार प्रतिपक्षीगण ने प्रार्थी का अपने ही मकान में रहना व जीवन व्यतीत करना मुश्किल कर दिया है और प्रार्थी की शांति भंग कर दी है। प्रार्थी सीनियर सीटीजन 7 वर्षीय अत्यधिक वुद्ध व्यक्ति है, जो कि अक्सर बीमार रहता है तथा वृद्धावस्था वाली मिलने वाली पेंशन राशि से ही गुजारा करता चला आ रहा है और प्रार्थी की पत्नी का इन्तकाल हो चुका है तथा प्रार्थी अकेला ही जीवन व्यतीत करता चला आ रहा है, प्रतिपक्षीगण का व्यवहार और ज्यादा क्रुरता पूर्ण हो गया और प्रतिपक्षीगण ऐनकेन प्रकारेण प्रार्थी के मकान पर जबरन कब्जा कर प्रार्थी को बेदखल करने पर आमदा हो रहे है। प्रतिपक्षीगण का व्यवहार व कृत्य दिन पर दिन और जयादा प्रारथी के प्रति क्रुरता पूर्ण हो गया है और ऐनकेन प्रकारेण प्रतिपक्षीगण, प्रार्थी को आये दिन धमकियां दे रहे है कि प्रार्थी को इस मकान से निकाल कर मकान हडप करके रहेगें और यदि प्रार्थी इस मकान पर दुबारा आया तो जान से खत्म कर देगे। प्रार्थी को प्रतिपक्षीगण के उक्त कृत्यो से काफी शरीरिक व मानसिक पीडा झेलते रहने के कारण काफी मानसिक तनाव में रहते हुऐ डिप्रेशन में आ गया है और इस कारण से और ज्यादा बीमार भी रहने लगा है तथा प्रतिपक्षीगण, प्रार्थी को विगत 2–3 सालो से निरन्तर प्रताडनाए देते आ रहे है, परन्तु प्रार्थी का प्रतिपक्षीगण पुत्र, पुत्र वधु होने के कारण ही प्रार्थी ने अपने मकान में रहने की अनुमति दी थी, चूंकि अब प्रतिपक्षीगण से प्रार्थी की शांती भंग हो गयी और जान का खतरा उत्पन्न हो गया है, इस कारण से प्रार्थी के पास एक मात्र विकल्प प्रतिपक्षीगण को अपने मालिकान स्वामित्व के मकान से प्रतिपक्षीगण को निकलवाने/निष्कासित करवाने के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं बचा है। इस कारण से प्रार्थी अपने मकान सम्पत्ति से प्रतिपक्षीगण को माननीय न्यायालय की सहायता से बेदखल करवावे। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र (कार्यवाही) प्रार्थी के पक्ष में व प्रतिपक्षीगणे के विरूध स्वीकार फरमाते हुऐ प्राथी के मालिकाना स्वामित्व वाले मकान वाकै मकान नम्बर–सी–19, साकेत आवास जयश्री विहार कोटा राजस्थान से प्रतिपक्षीगणो को (निष्कासित) किये जाने बाबत आदेश प्रदान फरमावे तथा प्राथी को व्यक्तिगत सुरक्षा व संरक्षा तथा प्रार्थी के उक्त मकान सम्पत्ति की सुरक्षा निरन्तर रखते हऐ उक्त बाबत समूचित आदेश प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध प्रदान फरमाया जावे तथा अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे कि प्रार्थी को उक्त सम्पत्ति मकान के उपयोग–उपभोग करने, मकान में किरायेदार रखने आदि में किसी प्रकार की अडचन पैदा नही करे, लडाई–झगड़ा नही करे, तथा प्रार्थी को जीवन निर्वाह,

न्यायालय उपखण्ड ... कोटा

उपखण्ड अधिकारी
को..

भरण पोषण, हारी–बीमारी के इलाज हेतु 5,000/–रूपये की राशि दिलवाई जावे। तथा अन्य न्यायोचित सहायता जो भी प्रकरण की परिस्थितियो के अनुसार उचित हो वह भी प्रार्थी के पक्ष में पारित फरमाई जावे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी वास्ते नोटिस प्रेषित किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त मकान अप्रार्थीगण भी निवास करते है,ओर उक्त मकान के प्रार्थी द्वारा क्रय करने मे व निर्माण कराने मे अप्रार्थीगण ने अपनी स्वअर्जित आय लगायी हुई है,उक्त मकान प्रार्थी द्वारा अपनी बुरी आदतो एवं गांजा भांग के नशे का आदी होने से उक्त मकान को गिरवी रखा हुआ है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी पर उक्त मकान को स्वंय के नाम कराने हेतु कभी दबाव नही बनाया है,न ही उसके लिए प्रार्थी के साथ गाली गलोच या लडाई झगडा किया है, हमेशा प्रार्थी आप्रार्थीगण का पिता व ससूर होने से उनका आदर किया है,सेवा सुश्रषा की है,लेकिन प्रार्थी स्वयं अपनी बुरी आदतो के चलते व अपनी नशे की आदत के कारण उक्त मकान को बेचान करने पर आमादा है,जिसका प्रार्थी को कोई अधिकार नही है,क्योकि उक्त मकान के क्रय करने व मकान निर्माण मे अप्रार्थीगण की स्वअर्जित आय की राशि भी लगी हुई है,मात्र प्रार्थी पिता होने से उनके नाम से मकान क्रय किया था। प्रार्थी स्वयं ,अप्रार्थीगण को मकान से बेदखल करने व मकान बेचान करने की गरज से लडाई झगडा गाली गलोच करता है,ओर अपनी पुत्रवधु के साथ अभद्र व्यवहार करता है,इसलिए अप्रार्थी 1 ने प्रार्थी के विरूद्ध थाना उद्योग नगर कोटा में रिपोर्ट करायी है,जो सही व सत्य है। प्रार्थी,अप्रार्थीगण के पिता व ससुर है ओर अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की पूर्ण रूप से सेवा सुश्रषा की है. खाना पीना किया है,समय समय पर इलाज भी कराया है. तथा अप्रार्थीगण का उक्त मकान पर उनका पैसा भी लगा हुआ है,ओर प्रार्थी पिता व बडा बुजुर्ग होने से उनके नाम से उक्त मकान क्रय किया है,लेकिन प्रार्थी अपनी गलत आदतो व नशे की लत के कारण उक्त मकान को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है,ओर अप्रार्थीगण को येनकेन प्रकारेण अवेध अनाधिकृत तोर से बेदखल करना चाहता है,इसी गरज से प्रार्थी ने उक्त मकान को गिरवी भी रख रखा है। प्रार्थी ने गलत असत्य तथ्यो पर यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय मे पेश किया है। तथा राजीव शर्मा दिनांक 25.9.2000 को सामान्य कोच मे दरवाजे पर पायदान पर इंजन राईट साईड पर बैठकर यात्रा कर रहा था दौरान यात्रा के श्री महावीर से गाडी रवाना होते ही उसका बेलेंस बिगड जाने से वह नीचे गिर गया गाडी के नीचे आने से अप्रार्थी कम 2 का पैर का पंजा कट गया अप्रार्थी कम 2 विकलांग हो गया अप्रार्थी कम 2 स्वयं काम धन्धा करने में असमर्थ है, खाने पीने तक के लाले पड़ रहे है,अत्यधिक आर्थिक स्थिति खराब है,उपर से प्रार्थी अप्रार्थीगण को परेशान कर रहे है,ओर मकान से बेदखल करने पर आमादा है,अप्रार्थी कृम 2 अपने ससूराल की मदद से अपना घर चला रहा है,यदि अप्रार्थीगण को मकान से बेदखल कर दिया तो वे रोड़ पर आ जायेगे काफी परेशानी होगी वैसे अप्रार्थिगण अपने पिता व ससुर की अपने स्तर पर सेवा सुश्रष व खाना पीना देने में तत्पर है पूर्व मे भी प्रार्थी का दो पेर फिसलने से एक्सीडेन्ट हो गया पेर फेक्चर हो गया

न्यायालय उपखण्ड ... कोटा

उपखण्ड अधिकारी
को ।

उस समय भी प्रार्थी का अप्रार्थीगण ने ही सेवा की इलाज कराया है। प्रार्थी अपने भाई के बहकावे मे आकर उक्त मकान को येनकेन प्रकारेण बेचान कराने पर आमादा है,ओर उक्त प्रतिफल राशि को हडप जाना चाहते है। प्रार्थी,अप्रार्थीगण के पिता व ससूर है,ओर अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की पूर्ण रूप से सेवा सुश्रषा की है,खाना पीना किया है,समय समय पर इलाज भी कराया है, तथा अप्राथीगण का उक्त मकान पर उनका पैसा भी लगा हुआ है,ओर प्राथी पिता व बडा बुजर्ग होने से उनके नाम से उक्त मकान क्रय किया है,लेकिन प्रार्थी अपनी गलत आदतो व नशे की लत के कारण उक्त मकान को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है,ओर अप्रार्थीगण को येनकेन प्रकारेण अवेध अनाधिकृत तोर से बेदखल करना चाहता है,इसी गरज से प्रार्थी ने उक्त मकान को गिरवी भी रख रखा है। प्रार्थी ने गलत असत्य तथ्यो पर यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय मे पेश किया है। तथा राजीव शर्मा दिनांक 25.9.2000 को सामान्य कोच में दरवाजे पर पायदान पर इंजन राईट साईड पर बैठकर यात्रा कर रहा था दौरान यात्रा के श्री महावीर से गाडी रवाना होते ही उसका बेलेंस बिगड जाने से वह नीचे गिर गया गाडी के नीचे आने से अप्रार्थी कम 2 का पैर का पंजा कट गया अप्रारथी कृम 2 विकलांग हो गया अप्रार्थी कम 2 स्वयं काम धन्धा करने में असमर्थ है,खाने पीने तक के लाले पड रहे है, अत्यधिक आर्थिक स्थिति खराब है,उपर से प्रार्थी अप्रार्थीगण को परेशान कर रहे है,ओर मकान से बेदखल करने पर आमादा है,अप्रार्थी कम 2 अपने ससुराल की मदद से अपना घर चला रहा है,यदि अप्रार्थीगण को मकान से बेदखल कर दिया तो वे राड पर आ जायेगे काफी परेशानी होगी वैसे अप्रार्थीगण अपने पिता व ससुर की अपने स्तर पर सेवा सुश्रषा व खाना पीना देने में तत्पर है,पूर्व मे भी प्रार्थी का दो पेर फिसलने से एक्सीडेन्ट हो गया पेर फेक्चर हो गया उस समय भी प्रार्थी का अप्रार्थीगण ने ही सेवा की इलाज कराया है। प्रार्थी अपने भाई के बहकावे मे आकर उक्त मकान को येनकेन प्रकारेण बेचान कराने पर आमादा है,ओर उक्त प्रतिफल राशि को हडप जाना चाहते अतःजवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के साथ बदसलूकी, गाली गलौच एवं मारपीट करने का कथन किया है परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपने वर्णित कथनों के सम्बंध में इस प्रकार का कोई भी ठोस दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई जिससे प्रार्थीगण के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। जिस कारण से प्रार्थीगण अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असमर्थ रहे है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी पर दुव्यवहार करने, मकान से निष्कासित कर मकान हड़पने का प्रयास करने हेतु आरोपित किया है। वही अप्रार्थीगण का कथन है कि एक्सीडेन्ट में पैर कटने के उपरान्त अप्रार्थी काम धन्धा करने में असमर्थ है तथा बड़ी मुश्किल से परिवार का पालन कर रहा है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि ट्रेन एक्सीडेन्ट से अप्रार्थी 2 का पैर कट गया था। इस महत्वपूर्ण तथ्य को प्रार्थी द्वारा छुपाया गया है, उक्त परिस्थिति में जबकि प्रार्थी स्वयं स्वीकार कर रहा है उसका गुजारा पेशन से होता है, तथा अप्रार्थी शारीरिक विकलांगता से पीड़ित है। हमारे विनम्रमत में भरण पोषण राशि बाबत प्रार्थना

उपखण्ड अधिकारी
को

न्यायोचित नहीं है। साथ ही प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के सन्दर्भ में सही तथ्य प्रस्तुत ना किये जाने के कारण हम बेदखली बाबत् प्रार्थना भी स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं पाते। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। परन्तु न्यायहित में अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि वे भविष्य में प्रार्थीगण के साथ मारपीट, गाली गलौच, लड़ाई झगड़ा एवं अभ्रद व्यवहार नही करे।

उक्त निर्णय आज दिनांक 15/7/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा